संख्या- 22 /2062 /38-3-2015-26(अधि0)/2012

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2015

विषय- प्रदेश के 42 जनपदों में 42 कनिष्ठ सहायक (प्रति जनपद 01) पद समाप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विकास विभाग सेवा नियमावली, 1980 संख्या-2386/38-1-1654-77, दिनांक 14 नवम्बर, 1980 में उत्तर प्रदेश के जिला विकास कार्यालयों में कुल 1242 पद सृजित हैं।

2- ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-855/38-3-2006-2पीएस/2001, दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों यथा मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मथुरा, झांसी, जालौन, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, इटावा, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, खीरी, रायबरेली, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच, गोण्डा, आजमगढ़, बलिया में कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रू0 3050-4590) को आस्थगित करते हुए इन्हीं 42 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 42 अस्थाई पदों (प्रत्येक जनपद में एक पद) का सृजन किया गया है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-855/38-3-2006-2पीएस/2001, दिनांक 12 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त 42 जनपदों में आस्थगित किये गये 42 कनिष्ठ सहायक के पदों को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-995/दस-2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-22/2062(1)/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित सूचनार्थ एवं आवकश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र; इलाहाहाबद।
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (व्वय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (वेतन-आयोग) अनु0-2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in